रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2019/फाल्गुन 14, 1940
No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/PHALGUNA 14, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. **178(अ).**—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करते हुए जन हित में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् .-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में -

(i) नियम 3 में, खण्ड 39 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"40 "अपशिष्ट संग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिभोगी से वास्तविक प्रयोक्ता या निपटान सुविधा के प्रचालक की ओर से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट एकत्रित करता हो।"

(ii) नियम 6 में, उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) ऐसा अधिभोगी जिनसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अंतर्गत स्थापना हेतु सहमति या प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा न हो, के लिए इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी;

परंतु अधिभोगी द्वारा उत्पन्न परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट को वास्तविक प्रयोक्ताओं, अपशिष्ट संग्राहकों या निपटान सुविधा के प्रचालकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।"

(iii) नियम 12 में, उप-नियम "6क" का लोप किया जाएगा;

(iv) अनुसूची III में, भाग ख में, -

(क) प्रविष्टि

"

ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट पॉलिमिथाइल मेथाक्राइलेट

"

का लोप किया जाएगा।

(ख) बेसल सं. "ख3030" के सामने, "सिल्क अपशिष्ट (रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कुसवारी, धागा अपशिष्ट और तामड़ित स्टॉक सहित) शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर शब्दों तथा कोष्ठकों

- धुने या साफ नहीं किए हुए
- अन्य", के लिए निम्नलिखित रखो अर्थात् :-

"सिल्क अपशिष्ट (रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कुसवारी, धागा अपशिष्ट और तामड़ित स्टॉक सहित)**

- धुने या साफ नहीं किए हुए
- अन्य

**सिल्क अपशिष्ट के निर्यात को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति की अपेक्षा से छूट प्राप्त है।"

(v) अनुसूची III में, भाग घ में, स्तंभ (2) में बेसल सं. ख1110 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"यदि भारत में विनिर्मित और निर्यातित इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक असेम्बली और संघटक त्रुटिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो ये निर्यात की तारीख से बारह माह के भीतर मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) द्वारा वापस आयात किए जा सकते हैं।"

(vi) अनुसूची VI में, बेसल सं. ख3010 के सामने, स्तंभ (2) में,-

(क) टिप्पण.- **"टिप्पण,-**विशेष आर्थिक ज़ोन वाली इकाइयों और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात अभिमुख इकाइयों को आयात की अनुमति है।" का लोप किया जाएगा।

(ख) "पॉलीसिलोक्सेन्स" शब्द के पश्चात्, "पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

MediaCode

(vii) प्ररूप 1 में, भाग घ के उप-शीर्षक के अधीन शीर्षक में निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :-

"भाग घ: परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पुनर्चक्रणकर्ताओं या पूर्व-प्रसंस्करणकर्ताओं या सह-प्रसंस्करणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्राहकों या प्रयोक्ताओं द्वारा भरा जाए'

[फा.सं. 23/4/2009-एचएसएम]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 395(अ) तारीख 04 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 670(अ) तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017; और सा.का.नि. 544(अ) तारीख 11 जून, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 178(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment, Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016: -

(i) in rule 3, after clause 39, the following clause shall be inserted, namely: -

"40. "waste collector" means a person who collects hazardous and other wastes on behalf of actual user or operator of disposal facility from the occupier;";

(ii) in rule 6, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely: -

"(1A) An occupier shall not be required obtain an authorisation under this rule, from the State Pollution Control Board, in case the consent to establish or consent to operate, is not required from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981);

Provided that the hazardous and other wastes generated by the occupier shall be given to the actual user, waste collector or operator of the disposal facility, in accordance with the Central Pollution Control Board guidelines.";

(iii) in rule 12, sub-rule "6A" shall be omitted;

(iv) in Schedule III, in Part B, -

(a) the entry

"

B3010	Solid plastic waste Polymethyl methacrylate

"

shall be omitted;

(b) against the Basel No. "B3030", for the words and brackets "Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garneted stock)

- Not carded or combed
- Other" , the following shall be substituted, namely: -

"Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garneted stock) **

- Not carded or combed
- Other

** Export of silk waste is exempted from requiring permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.";

(v) in Schedule III, in Part D, against Basel No. B1110, in column (2), after the entries, at the end the following entries shall be inserted, namely: -

"Electrical and electronic assemblies and components manufactured in and exported from India if found defective or non-functional can be imported back by Original Equipment Manufacturers (OEMs) within twelve months from the date of export."

(vi) in Schedule VI, against Basel No. B3010, in column (2), -

(a) the Note "**Note.** -Import is permitted to the units in Special Economic Zones and Export Oriented Units notified by the Central Government." shall be omitted;

(b) after the word "Polysiloxanes", the words "Polymethyl methacrylate" shall be inserted.

(vii) in Form 1, in the heading under sub-heading Part D the following shall be substituted, namely: -

"Part D: To be filled by recyclers or pre-processors or co-processors or waste collectors or users of hazardous and other wastes"

[F. No. 23/4/2009-HSM]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395 (E), dated the 4th April 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 670(E) dated the 6th July, 2016; G.S.R. 177(E) dated the 28th February, 2017; and G.S.R. 544(E) dated the 11th June 2018.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.07 11:26:53 +05'30'